

न्यायालय:दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-35 / 2011

संस्थित दिनांक-15.11.2011

फाई.नं-234503002022011

1-श्रीमती धन्नोबाई उर्फ धनेश्वरी, उम्र-23 वर्ष, पति श्री मनोहरदास सोनवाने,  
जाति पनिका साकिन मोहगांव(बी.) हाल मुकाम-कटंगी(बैहर), तहसील बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.।

2-कु. आयुषी उम्र-1½ वर्ष पिता श्री मनोहरदास सोनवाने  
ना.बा. वली माँ धन्नो बाई पति मनोहरदास सोनवाने, जाति पनिका

3-अनुराग उम्र-05 माह पिता मनोहरदास सोनवाने, ना.बा. वली  
माँ धन्नोबाई पति मनोहरदास सोनवाने, जाति पनिका,  
सभी निवासी-ग्राम मोहगांव(बी.) हाल मुकाम-कटंगी(बैहर), तहसील बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आवेदकगण

// विरुद्ध //

मनोहरदास सोनवाने, उम्र-26 वर्ष, पिता सम्पतदास सोनवाने,  
जाति पनिका, निवासी-ग्राम मोहगांव(बी.) थाना मलाजखण्ड,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

— — — — — अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-26 / 02 / 2018 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत  
धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-15.11.2011 का निराकरण किया जा रहा  
है।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी  
है।

3- आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क.1 का  
अनावेदक से वर्ष 2009 में विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका क.1,  
अनावेदक के साथ ग्राम मोहगांव में निवास करने लगी थी। आवेदिका क.1 एवं  
अनावेदक के संसर्ग से आ.क.02 कु. आयुषी एवं आ.क.03 अनुराग का जन्म हुआ था  
जो उनकी नैसर्गिक वली माँ के साथ ग्राम कटंगी(बै.) में निवास करते हैं। अनावेदक

ने विवाह के 3-4 महिनों तक आवेदिका क.1 को अच्छे से रखा था। उसके पश्चात् अनावेदक ने आवेदिका क.1 से छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई-झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया था। अनावेदक एवं आवेदिका के सास-ससुर आवेदिका से कहते थे कि वह गरीब घर की एवं नंगे परिवार की है दहेज में उसके पिता ने 25,000/-रुपये एवं आलमारी नहीं दी है इस कारण वह उसको नहीं रखेंगे। इसी बीच आवेदिका गर्भवती हो गयी थी जिससे कु. आयुषी का जन्म हुआ था अनावेदक एवं उसके परिवारवाले कहते थे कि आवेदिका मर जायेगी तो अनावेदक का दूसरा विवाह कर लेंगे। अनावेदक एवं उसके माता-पिता को आवेदिका के पिता एवं रिश्तेदारों ने समझाने का प्रयास किया था लेकिन वह नहीं माने थे इस कारण आवेदिका उसकी पुत्री को ससुराल में छोड़कर उसके पिता के घर आ गयी थी। आवेदिका के पिता व रिश्तेदारों ने अनावेदक को समझाया था तब अनावेदक ने कहा था कि वह दुबारा आवेदिका को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आवेदिका पुत्री सहित अनावेदक के घर पर आ गयी थी कुछ महीने बाद अनावेदक पुनः आवेदिका की मारपीट करने लगा था। आवेदिका पुनः गर्भवती हुई थी तब अनावेदक ने आवेदिका के साथ पुनः मारपीट की थी। आवेदिका बेहोश हो गयी थी, होश आने पर आवेदिका ने उसके मायके सूचना भिजवाई थी एवं आवेदिका उसके मायके आ गयी थी तब से आवेदिका उसके मायके में उसके पिता के सहारे निवास कर रही है। आवेदिका उसका एवं उसके बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका को महीने में लगभग स्वयं के भरण-पोषण के लिए 3,000/-रुपये तथा उसके बच्चों के भरण-पोषण के लिए 1,000-1,000/- रुपये का दवाई, कपड़ा, खाना का खर्च आता है। अनावेदक की किराने की दुकान है जो बाजार जाकर चिल्लर एवं थोक किराने का सामान विक्रय करता है जिससे अनावेदक को 14-15 हजार रुपये की मासिक आमदानी होती है। आवेदकगण ने उनके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उन्हें भरण-पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4- अनावेदक द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक आवेदिका से विवाह के पश्चात् उसके मां बाप से अलग उसे पुत्र-पुत्री सहित किराये के मकान में निवास करता था। अनावेदक उसकी आय से उसके परिवार का पालन-पोषण करता था। किंतु आवेदिका का पिता अनावेदक को कई प्रकार से दबाव डालकर उनके साथ घर जवाई बनकर रहने की कहता था। उक्त बात अनावेदक को पसंद नहीं थी। इस कारण आवेदिका का पिता उसकी बेटी को अनावेदक के घर से जबरन उसके साथ ग्राम कटंगी में रहने के लिए विवश करने

लगा था। आवेदिका के पुत्र अनुराग का जन्म बैहर अस्पताल में हुआ था तब अनावेदक एवं उसके पिता बैहर अस्पताल आवेदिका एवं पुत्र से मिलने पहुँचे थे तो आवेदिका के पिता ने अनावेदक एवं उसके पिता के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। उसकी सूचना अनावेदक के पिता ने दिनांक 24.06.2011 को पुलिस थाना बैहर में दी थी। अनावेदक ने आवेदकगण को अपने साथ रखने के लिए अधिवक्ता के द्वारा आवेदिका को सूचना पत्र प्रेषित कराया था। परंतु आवेदिका अनावेदक के घर उसके पिता के कारण वापस नहीं आई थी। अनावेदक 50/-रुपये से ज्यादा नहीं कमाता है अनावेदक को जो आय प्राप्त होती है उसी से उसके माता-पिता, बहन तथा स्वयं का पालन-पोषण करता है। अनावेदक ने आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5- आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदकगण का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

#### निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

6- समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

7- आवेदिका धन्नोबाई आ.सा.1 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं कि अनावेदक शादी के कुछ समय बाद आवेदिका के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगा था। अनावेदक एवं आवेदिका के सास-ससुर आवेदिका से आलमारी एवं पच्चीस हजार रुपये की मांग कर उसे परेशान करते थे। आवेदिका जब गर्भवती थी तब उसके ऊपर सामान का गट्ठा फेंक देते थे परेशान कर बोलते थे कि सामान नहीं लायेगी तो अनावेदक दूसरी शादी कर लेगा। आवेदिका ने अनावेदक द्वारा की गयी दहेज की मांग एवं दूसरी शादी करने की धमकी की सूचना उसके माता-पिता को भिजवाई थी। आवेदिका के पिता ने घटना की जानकारी ली थी। अनावेदक एवं उसके माता-पिता ने आवेदिका के पिता से विवाद किया था और कहने लगे थे कि आवेदिका को ले

जाओ वह आवेदिका को नहीं रखना चाहते हैं। जाति-समाज के लोग भी इकट्ठा हुए थे, उनके सामने भी अनावेदक ने आवेदिका एवं उसके माता-पिता से लड़ाई-झगड़ा करके दहेज की मांग कर आवेदिका को घर से निकाल दिया था।

8— धन्नोबाई आ.सा.1 का यह भी कहना है कि उसकी पुत्री का जन्म अस्पताल में हुआ था। तब भी अस्पताल में अनावेदक एवं उसके माता-पिता ने आवेदिका के पिता के साथ झगड़ा किया था। अनावेदक ने आवेदिका का ईलाज नहीं करवाया था। घटना के बारे में अनावेदक एवं उसके माता-पिता को आवेदिका के रिश्तेदारों द्वारा समझाया गया था परंतु फिर भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया था। आवेदिका ढाई-तीन वर्ष से अलग रह रही है। आवेदिका एवं उसकी बच्चों की कोई देखरेख नहीं की जा रही है। आवेदिका उसका एवं उसके बच्चों का खर्च उठाने में असमर्थ है। आवेदिका का खर्च उसके पिता उठा रहे हैं। आवेदिका एवं उसके पुत्र-पुत्री का छः हजार रुपये का खर्च आ जाता है। आवेदिका कोई काम धंधा नहीं करती है। अनावेदक की किराने की दुकान है उससे वह महीना में 14-15 हजार रुपये की आय अर्जित करता है। अनावेदक बाजारों में घूमकर भी धंधा करता है। आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-08 में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक ने उसे दिनांक 19.02.2011 को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में यह बताया है कि अनावेदक की मोहगांव बाजार के अंदर किराने की दुकान है। आवेदिका ने स्वतः में बताया है कि अनावेदक ने अनीताबाई नाम की दूसरी लड़की से शादी कर ली है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

9— ज्ञानीदास आ.सा.02 का कथन है कि आवेदिका उसकी पुत्री है एवं अनावेदक उसका दामांद है। आयुषी, अनुराग उसके नाती हैं। आवेदिका का विवाह वर्ष 2009 में हुआ था। आवेदिका विवाह के बाद अनावेदक के साथ पत्नी के रूप में निवास करने लगी थी। विवाह के डेढ़ माह के बाद अनावेदक आवेदिका के साथ दहेज के लिए मारपीट करता था एवं फोन पर गाली-गलौच करता था। साक्षी को उक्त घटना के बारे में उसकी पुत्री ने आकर बताया था तब साक्षी समाज के लोगों को लेकर अनावेदक के घर गया था। अनावेदक से बात करते समय अनावेदक ने दहेज मांगा था और कहा था कि वह उसकी पुत्री को नहीं रख सकता। साक्षी के साथ उपस्थित व्यक्तियों के समझाईश देने पर अनावेदक आवेदिका को मुश्किल से रखने को तैयार हुआ था। उसके बाद साक्षी घर वापस आ गया था। परंतु आये दिन अनावेदक आवेदिका को परेशान करता था। आवेदिका के बच्चे के जन्म के समय



अनावेदक ने आवेदिका का ईलाज नहीं कराया था। आवेदिका साक्षी के घर पर तीन वर्ष से रह रही है। अनावेदक ने आवेदिका का कोई भरण-पोषण नहीं किया है। आवेदिका को भगाने के बाद अनावेदक ने अनीताबाई से दूसरा विवाह कर अपने घर में पत्नी के रूप में उसे रखा है। आवेदिका को भरण-पोषण का 3000/-रूपये एवं उसके पुत्र, पुत्री को 1500-1500/-रूपये का खर्च आता है। अनावेदक किराने का व्यापारी है। उसकी मूल दुकान ग्राम मोहगांव में है। अनावेदक सोनगुड्डा, मढ़ई, झलमला, मोहगांव व अन्य जगह बाजार में दुकान लगाता है। अनावेदक 14-15 हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है। अनावेदक के द्वारा मारपीट करने एवं दहेज की मांग करने के कारण थाना मलाजखण्ड एवं बैहर में रिपोर्ट की थी।

10- ज्ञानीदास आ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह बताया है कि अनावेदक की दुकान मनोहरदास के नाम से है। साक्षी ने स्वतः में बताया है कि जब वह एक बार अनावेदक के घर गया था तब अनावेदक ने साक्षी को बताया था कि वह इतना पैसा कमा लेता है। अनावेदक ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में स्वतः में बताया है कि उसके पास प्रमाण है कि उसने अनावेदक एवं अनीताबाई को पति-पत्नी के रूप में रहते हुए देखा था। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। आवेदिका ने दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट के लिए दिये गये आवेदन की प्रति प्र.पी.ए1, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर के अपराधिक प्रकरण क्र 125/14 की आदेश पत्रिका प्र.पी.ए2, पुलिस थाना मलाजखण्ड द्वारा उक्त प्रकरण से प्रस्तुत चालान पृष्ठ क्र01 लगा.04 प्र.पी.ए3, उक्त प्रकरण में हुए राजीनामा के आवेदन पत्र प्र.पी.ए4,ए5 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं।

11- मनोहरदास अना.सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि आवेदिका उसकी पत्नी है एवं आयुषी, अनुराग उसके पुत्र-पुत्री हैं। अनावेदक का आवेदिका से वर्ष 2009 में विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात अनावेदक एवं आवेदिका उसके माता-पिता से अलग किराए के कमरे में निवास करते थे। उस समय छोटी-छोटी बातों को लेकर आवेदिका विवाद करती थी। आवेदिका के पिता अनावेदक से किराए का कमरा छोड़कर उनके गांव ग्राम कटंगी में रहने के लिए बोलते थे। अनावेदक के पुत्र अनुराग का जन्म बैहर अस्पताल में हुआ था तब अनावेदक पुत्र को देखने गया था। तब अनावेदक से उसके ससुर ने लड़ाई-झगड़ा करके उसे भगा दिया था तब अनावेदक वहां से उसके घर चला गया था। बच्चे के जन्म के बाद होने वाले कार्यक्रम में अनावेदक को नहीं बुलाया गया

था। अनावेदक ने आवेदिका को उसके अधिवक्ता से सूचना पत्र प्रेषित करवाया था। उसके बाद भी आवेदिका अनावेदक के साथ रहने के लिए नहीं आई थी। अनावेदक के साथ उसके माता-पिता एवं छोटी बहन रहती है। अनावेदक हमाली का कार्य करता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आवेदिका के पिता एवं जाति समाज के लोगों के समझाने पर भी अनावेदक ने आवेदिका को रखने से इंकार कर दिया था। साक्षी ने सुझाव में यह भी अस्वीकार किया है कि उसके घर पर किराने की दुकान है। किराना के व्यवसाय से उसे 15,000/-रुपए की प्रतिमाह आय प्राप्त होती है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका के लालन-पालन का दायित्व उसका है। अनावेदक ने दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस हस्ताक्षर अयोग्य अपराध की सूचना की असल प्रति प्र.डी.01, रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्र.डी.02, प्राप्ति स्वीकृति प्र.डी.03 एवं 04 प्रस्तुत की हैं।

12— साक्षी खान अना.सा.02 ने मनोहरदास अना.सा.01 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि अनावेदक से उसके अच्छे संबंध हैं। अनावेदक आवेदिका को अच्छे से रखता था। अनावेदक मजदूरी एवं हमाली का कार्य करता है। आवेदिका ने अनावेदक से कहा था कि वह अलग किराए के कमरे में रहेगी तब अनावेदक ने आवेदिका को छः माह तक अलग किराए के कमरे में रखा था। जब अनावेदक एवं उसके परिवार के लोग घर पर नहीं थे तब आवेदिका चुपचाप उसके मायके चली गयी थी। अनावेदक आवेदिका को लेने उसके मायके गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक के घर पर किराने की दुकान है एवं दुकान के अतिरिक्त अनावेदक चिल्लर किराना का व्यवसाय कर 15,000/-रुपये प्रतिमाह कमा लेता है। साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक का दायित्व है कि वह आवेदिका का पालन-पोषण करे।

13— आवेदिका ने उसकी मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि वह अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। उभयपक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक आवेदिका के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था। अनावेदक ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर एवं अनीताबाई नाम की लड़की से दूसरी शादी करने के कारण आवेदिका को घर से निकाल दिया है। समझाईस देने पर भी अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट करना बंद नहीं किया था। इस संबंध में आवेदिका धन्नोबाई आ.सा.01 की साक्ष्य अखंडित रही है। वर्तमान में आवेदिका उसके मायके में रह रही है। इस प्रकार आवेदिका क01 मजबूरन अपने मायके में आवेदिका क02 एवं आवेदक क03 के साथ निवासरत है और मायके में रहने के दौरान आवेदकगण की अनावेदक ने भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका क01

का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त करण प्रकट होता है।

14— उभयपक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनावेदक किराने की दुकान करता है। अनावेदक को किराने की दुकान से प्राप्त होने वाली आय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदिका एवं उसके साक्षीगण ने मौखिक साक्ष्य से अनावेदक की लगभग पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त होना प्रकट किया है। परंतु अनावेदक ने उसके प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य से इंकार किया है। अनावेदक स्वयं ने उसकी आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है और ना ही मौखिक साक्ष्य से वास्तविक आय प्राप्त होने के कथन किये हैं। ऐसी दशा में आवेदिका की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख पर प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है अनावेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं और वह अपना एवं आवेदकगण का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। आवेदिका उसका एवं उसके पुत्र पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नी, पुत्र, पुत्री के भरण-पोषण का दायित्व पति एवं पिता पर होता है। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदकगण के भरण-पोषण करने से उपेक्षापूर्वक इंकार किया है। आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। इन सभी परिस्थितियों में आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकार है। आवेदिका एवं उसके पुत्र पुत्री के रहन सहन को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक आवेदिका को 1000/—(एक हजार) रूपए प्रतिमाह, पुत्री आयुषी को 500/—(पांच सौ) रूपए प्रतिमाह, पुत्र अनुराग को 500/—(पांच सौ) रूपए प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि आदेश दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख-10 तक निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

15— अनावेदक, आवेदकगण का व्यय वहन करेगा।

16— आवेदकगण को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट